रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112023-250279
CG-DL-E-28112023-250279

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2023/अग्रहायण 3, 1945
No. 682] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2023/AGRAHAYANA 3, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 865(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949, (1949 का 66) की धारा 18 के उप-धारा (1) एवं उप धारा (2) के खण्ड (क) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक उप निरीक्षक (दर्जी), ट्रेड्समेन संवर्ग, समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप निरीक्षक (दर्जी) ट्रेड्समेन संवर्ग समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''सक्षम प्राधिकारी'' से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) और केंन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है:

(ख) ''महानिदेशक'' से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक अभिप्रेत है:

(ग) ''शेप-1'' ऐसे चिकित्सा श्रेणी को निर्दिष्ट करता है जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्ष 2008 के स्थायी आदेश संख्या 04 तारीख 15 दिसम्बर, 2008 तथा उसके महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन में विनिर्दिष्ट है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किंतु जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है ।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है ।

5. **पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम.-** पोषक श्रेणी में बल के प्रत्येक सदस्य को उसकी ज्येष्ठता के क्रम में उच्चतर रैंक पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा अवधि पूरी करने से पहले अर्हक प्रोन्नति पाठ्यक्रम या व्यवसायिक परिक्षण उत्तीर्ण करने के लिए भेजा जाएगा और किसी भी प्रोन्नति से पहले, बल के प्रत्येक ऐसे सदस्य से उक्त अनुसूची के स्तम्भ (11) में निर्दिष्ट प्रोन्नति पाठ्यक्रम या व्यावसायिक परिक्षण या पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा:

परंतु यदि महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का यह समाधान हो जाता है कि सेवा की आवश्यकताओं या अन्य अपरिहार्य कारणों से, यदि कोई सदस्य, अपेक्षित प्रोन्नति पाठ्यक्रम या व्यावसायकि परीक्षण या पाठ्यक्रमों को करने में या उत्तीर्ण करने में समर्थ नहीं है, तो वह उन कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, बल के ऐसे सदस्य को प्रोन्नत कर सकेगा, परंतु यह कि वह प्रोन्नति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रोन्नति प्राठ्यक्रम या व्यावसायकि परीक्षण या पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करेगा, जिसके न हो सकने पर उसे पूर्व रैंक और प्रास्थिति पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा ।

6. **ज्येष्ठता.-** ज्येष्ठता, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जायेगी ।

7. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

8. **गैर-भारतीय नागरिकों की अपात्रता.-** वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, इन नियमों के अधीन लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा:

परन्तु इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल अथवा भूटान के नागरिकों को बल में नियुक्ति या नियोजित करने से वर्जित नहीं किया जाएगा ।

9. अधिवर्षिता.- (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति जिस मास में, साठ वर्ष की आयु पूरी करता/करती है उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत होगा:

परन्तु वह व्यक्ति की जिसकी जन्म तारीख मास की पहले तारीख को है वह साठ वर्ष की आयु पूरी करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा ।

(2) किसी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित आयु के पश्चात सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा ।

10. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपाबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

11. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

12. निर्वचन.- यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक उप निरीक्षक (दर्जी)	*138 (2023) (पुरुष-126 और महिला-12) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	स्तर 5 (रू. 29200 - 92300/-)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विघमान है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे हवलदार(दर्जी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रू. 25500-81100/-) में नियमित	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे-	लागू नहीं होता।

आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो,- (1) महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय समय पर अपेक्षानुसार यथाविहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या व्यावसायिक परीक्षण या पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण किया हो: (2) चिकित्सा प्रवर्ग "शेप-I" में हो: और (3) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	(i) उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- अध्यक्ष: (ii) कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल-सदस्य-I : (iii) द्वितीय कमान अधिकारी अथवा उप कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल-सदस्य-II: (iv) सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सहयोजित सदस्य (v) बल का एक सदस्य जो उप निरीक्षक के रैंक से नीचे का न हो तथा जिसे संबंधित ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो।	

[सं. आर.नौ-1/2023-संग.(दर्जी)]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक-2)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2023

G.S.R. 865(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (a) and (c) of sub-section(2) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Sub-Inspector (Tailor), Tradesmen Cadre, Group 'C' post in the Central Reserve Police Force, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Assistant Sub-Inspector (Tailor) Tradesmen Cadre, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Competent Authority" means the appointing authority or authority referred to in the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and Central Reserve Police Force Rules, 1955;

(b) "Director General" means the Director General, Central Reserve Police Force;

(c) "SHAPE-I" refers to the Medical Category as specified under the Central Reserve Police Force Standing Order No. 04 of 2008 dated the 15th December, 2008 and subsequent amendments issued by the Directorate General, Central Reserve Police Force from time to time.

(2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meanings assigned to them in the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and the Central Reserve Police Force Rules, 1955.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Pre-Promotional courses.- Every member of the Force in the feeder category shall be detailed to undergo qualifying promotional courses or trade test, before completing the service eligibility period for promotion to higher rank, in order of his seniority and every such member of the Force shall, before any promotion, be required to pass promotional course or trade test or courses as specified in column (11) of the said Schedule :

Provided that if the Director General, Central Reserve Police Force is satisfied that due to exigencies of service or other unavoidable reasons, any such member is not able to undergo or qualify the required promotional course or trade test or courses, he after the reasons to be recorded in writing, may promote such member of Force, subject to passing of promotional course or trade test or courses within a period of two years, from the date of his promotion, failing which he shall be reverted to previous rank and status.

6. Seniority.- Seniority shall be regulated in accordance with the Central Reserve Police Force Rules, 1955 and general instructions issued by the Central Government from time to time.

7. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

8. Ineligibility of non-citizens of India.-No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

9. Superannuation.- (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years:

Provided that a person whose date of birth is on the first day of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

10. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

11. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and others special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

12. Interpretation.- If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Sub-	*138 (2023) (Male-126 and	General Central Service Group ‘C’,	Level 5 (Rs. 29200-92300).	Selection post	Not applicable.

Inspector (Tailor).	Female-12) *(Subject to variation dependent on workload).	Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).			

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion : Head Constable (Tailor) in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix having not less than five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and who,- (i) has passed pre-promotional course or trade test or courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time as per requirements; (ii) is in Medical category "SHAPE-I; and (iii) has good record of service. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (i) Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Chairman ; (ii) Commandant, Central Reserve Police Force - Member-I ; (iii) Second in Command, or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member-II ; (iv) Assistant Commandant, Central Reserve Police Force - Co-opted -Member ; (v) One member of the Force not below the rank of Sub-Inspector having sufficient knowledge of relevant trade.	Not applicable.

[No. R.IX-1/2023-Org(Tailor)]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers.-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA